न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 161/2018 **दायरा दिनांक : 12.09.2018**

उनवान

1— ओम प्रकाश पुत्र श्री लोडक्या, आयु 44 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम खैराली, तहसील बारां, जिला बारां

2— महावीर पुत्र श्री लोडक्या, आयु 34 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम खैराली, तहसील बारां, जिला बारां

3— श्रीमती जड़ाव बेवा श्री लोडक्या, आयु 67 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम खैराली, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.06.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 131/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खैराली तहसील बारां के हाल खेवट खतौनी संख्या नई 108 पुरानी 152 के खसरा नम्बर 883 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 897 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 898 रकबा 0.05 हेक्टर कुल 5 किता कुल रकबा 1.42 हेक्टर आराजी वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । पूर्व के अभिलेख सम्वत 2033–37 में साबिक खसरा नम्बर मि. 590 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर मि. 595 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 625 रकबा 16 बिस्वा कुल 3 किता कुल रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा जिसका क्षेत्रफल 2.52 हेक्टर था । बन्दोस्त कार्यवाही के दौरान वादीगण के साबिम खसरा नम्बर 590 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा की आराजी को खसरा नम्बर 595 में सम्मिलित कर नवीन खसरा नम्बर 896 क्षेत्रफल 3.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 899 रकबा 0.88 हेक्टर कर सिवाय चक चारागाह में दर्ज कर दिया । चारागाह के पूर्व रकबा 443 बीघा 10 बिस्वा में वृद्धि कर रकबा 464 बीघा कर दिया । वादीगण के साबिक खसरा नम्बर मि. 625 रकबा 16 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 1023/1254 क्षेत्रफल 0.19 हेक्टर निर्मित कर चारागाह में दर्ज कर दिया । वर्तमान में चारागाह के रकबे में 29 बीघा 10 बिस्वा की वृद्धि हो गई तथा वादीगण का रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा क्षेत्रफल 1.02 हेक्टर कम हो गया । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रक्रिया के सर्वमान सिद्धांतों की पालना नहीं की है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रेकार्ड से असंगत विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अपने खातेदारी की भूमि को दौराने सैटलमेंट कम कर चारगाह भूमि के रकबे में मिला दिया, जो सैटलमेंट की त्रुटि से हुआ है उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु अपीलांट द्वारा वाद पेश किया गया था, जिस पर विवाद्यक कायम कर अपीलांट की

साक्ष्य लेकर विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादपत्र के तथ्यों को पढ़े बिना ही निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट ने अपने खातेदारी की भूमि के कम हुए रकबे को चारागाह भूमि में मिला दिया । चारागाह भूमि में मिलाया गया रकबा अपीलांट की खातेदारी की आराजी है । अपीलांट अपने खातेदारी की आराजी में कम हुए रकबे को विधि प्रकिया अनुसार चारागाह भूमि से प्राप्त करने के अधिकारी होतु हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद विधिवत विचारण किये बिना ही निर्णीत करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.09.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय उचित हैं, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेत्र करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा